

प्रेस नोट दिनांक 02.02.2025

थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली

◆थाना चन्दौली पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में दो लगजरी वाहन में छिपा कर ले जाये जा रहे 520.92 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 03 शराब तस्करो को किया गिरफ्तार।

◆बरामद कुल 520 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब की (अनुमानित कीमत लगभग 05.50 लाख रुपये)

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में शराब तस्करो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चन्दौली पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि दो लगजरी गाडियो मे अवैध अंग्रेजी शराब लादकर हरियाणा से ला रहे है जिनको बिहार ले जाया जा रहा है।

इस सूचना पर चन्दौली पुलिस थाना चन्दौली के सामने हाइवे ओवर ब्रिज पर चेकिंग के दौरान कुछ समय पश्चात दोनो गाडीया आ गयी जिनको रुकवाकर चेक किया गया तो फोर्ड फिगो जिसका नम्बर HR10AA9542 है चालक की पहचान संजय पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ऋषि कालोनी मकान न0 817/3 थाना सेक्टर 27 जनपद सोनीपत हरियाणा उम्र 40 वर्ष तथा ड्राइवर के बगल वाली सीट मे बैठे व्यक्ति की पहचान नाम रोहन पुत्र कृष्णा निवासी मम्बेवा थाना बेयरी जनपद झंझर हरियाणा उम्र करीब 20 वर्ष के रुप में हुई। उक्त गाडी को चेक किया गया तो कुल बोतल 750 ML रायल ग्रीन विस्की कुल बोतल 420 व लीटर(315) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुआ।

दुसरी गाडी HR51CC9237 के चालक की पहचान राजेश S/O सुरेन्द्र सिंह R/O मम्बेवा थाना बेयरी जनपद झंझर हरियाणा उम्र करीब 26 वर्ष के रुप में हुई। उक्त गाडी की तलाशी मे कुल 1140 बोतल 180 ML अंग्रेजी रायल ग्रीन विस्की कुल मात्रा 205.92 लीटर बरामद हुआ। कुल 520.92 लीटर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 30/2025 धारा 60/63 EX ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तो ने सामूहिक रुप से बताये कि यह शराब हमलोग हरियाणा के सोनीपत से सस्ते दाम पर खरीद कर ला रहे थे जिसको बिहार बेचने के लिए ले जा रहे थे। आप लोगो द्वारा पकड लिया गया।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. संजय पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ऋषि कालोनी मकान न0 817/3 थाना सेक्टर 27 जनपद सोनीपत हरियाणा उम्र 40 वर्ष

2. रोहन पुत्र कृष्णा निवासी मम्बेवा थाना बेयरी जनपद झंझर हरियाणा उम्र करीब 20 वर्ष
3. राजेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मम्बेवा थाना बेयरी जनपद झंझर हरियाणा उम्र करीब 26 वर्ष

अपराधिक विवरण-

मु.अ.स. 30/2025 धारा 60/63 EX ACT थाना चन्दौली जनपद चन्दौली ।

विवरण बरामदगी-

1. 520.92 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब
2. एक कार(ब्रेजा)
3. एक कार (फोर्ट फिगो)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ.नि. रावेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी नवीन मण्डी थाना व जिला चन्दौली
का. विजय कुमार थाना व जिला चन्दौली।
का. ओम प्रकाश पाण्डेय थाना व जिला चन्दौली।

स्वाट/सर्विलांस-

उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम
हे0का0 अरविंद भारद्वाज
हे0का0 राणा प्रताप सिंह
हे0का0 आनंद सिंह
हे0का0 रामानंद यादव
हे0का0 बिजेन्द्र सिंह
हे0का0 प्रेम यादव
हे0का0 मंटू सिंह
का0 अजीत कुमार सिंहका0 नीरज कुमार मिश्रा
का0 मनोज कुमार यादव

थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में एक डीसीएम वाहन से पंजाब की निर्मित 149 पेटी में कुल 1341 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर दो अभियुक्तों के किया गया गिरफ्तार ।

◆बरामद 149 पेटी में कुल 1341 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब की (अनुमानित कीमत 16 लाख रुपये)

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में शराब तस्करोँ पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर श्री आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में आज दिनांक 02.02.2025 को एक डीसीएम से अवैध शराब वाराणसी के रास्ते बिहार ले जाने की सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई।

थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पचफेड़वा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से समय करीब 04.40 बजे चेकिंग के दौरान 01 डीसीएम वाहन संख्या UP12BT9656 को रोकवाकर चेक करने का प्रयास किया गया कि वाहन मे चालक व खलासी की सीट पर बैठा व्यक्ति भागने का प्रयास किया कि पुलिस द्वारा दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों की पहचान 1. सचिन सिंह पुत्र रघुबीर सिंह नि0 मकान नं0 267 गनेश तलाई ईट भट्ठा रोड गनेशगंज वार्ड नं0 1 खण्डवा थाना सीटी कोतवाली जिला खण्डवा मध्यप्रदेश उम्र 31 वर्ष तथा खलासी की सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम 2. मस्कोले पुत्र दामजी मस्कोले नि0 मकान नं0 56 वार्ड नं0 1 माताजी की मंदिर के पास गणेशगंज खण्डवा थाना सीटी कोतवाली जिला खण्डवा मध्यप्रदेश उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई । पुलिस टीम द्वारा डीसीएम वाहन संख्या UP12BT9656 पर लगे काले रंग के तिरपाल के उपर बँधी रस्सी को खोलकर तिरपाल हटाकर देखा गया तो उक्त वाहन के ऊपर बने बाक्स मे नाजायज अंग्रेजी शराब, Royal stage superior whisky(For sale in Punjab only) प्रत्येक बोतल मात्रा 750ML 18 पेटी कुल 216 बोतल कुल 162 लीटर ,Mc DOWELLS(For sale in Punjab only) प्रत्येक बोतल 375 ML 56 पेटी कुल 1344 बोतल कुल 504 लीटर , Mc DOWELLS(For sale in Punjab only) प्रत्येक बोतल 750 ML 75 पेटी कुल 900 बोतल कुल 675 लीटर कुल योग 1341 लीटर बरामद हुआ बरामद हुआ। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 33/2025 धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 60/63 आबकारी अधिनियम अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से प्रत्येक बोतल के मूल्य पर काला पेन्ट लगाने के संबंध मे पूछा गया तो बताये कि बिहार में हम लोग इसको अधिक मूल्यो पर बेचते है इसलिये मूल्य पर काला पेन्ट हम लोगो द्वारा लगा दिया गया है । हमलोगो का एक गुप है चूकि बिहार में शराब बन्दी है इसलिए हमलोग पंजाब से सस्ते दाम पर शराब खरीद कर बिहार में ले जाकर उचे दामो पर बेचते है जिससे हमलोगो को काफी मुनाफा होता है तथा इस धन्धे में होने वाली कमाई से हमलोग आपस में बाटकर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। पकड़े गये

व्यक्तियों द्वारा डीसीएम वाहन संख्या UP12BT9656 के वाहन स्वामी की सहमति से नाजायज शराब लादकर ले जाते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सचिन सिंह पुत्र रघुबीर सिंह नि० मकान नं० 267 गनेश तलाई ईट भट्ठा रोड गनेशगंज वार्ड नं० 1 खण्डवा थाना सीटी कोतवाली जिला खण्डवा मध्यप्रदेश उम्र 31 वर्ष (चालक)
2. मस्कोले पुत्र दामजी मस्कोले नि० मकान नं० 56 वार्ड नं० 1 माताजी की मंदिर के पास गणेशगंज खण्डवा थाना सीटी कोतवाली जिला खण्डवा मध्यप्रदेश उम्र 40 वर्ष (खलासी)

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 33/2025 धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 60/63 आबकारी अधिनियम अधिनियम

विवरण बरामदगी-

नाजायज अंग्रेजी शराब,

1. Royal stage superior wisky(For sale in Punjab only) प्रत्येक बोतल मात्रा 750ML 18 पेटी कुल 216 बोतल कुल 162 लीटर ,
2. Mc DOWELLS(For sale in Punjab only) प्रत्येक बोतल 375 ML 56 पेटी कुल 1344 बोतल कुल 504 लीटर ,
3. Mc DOWELLS(For sale in Punjab only) प्रत्येक बोतल 750 ML 75 पेटी कुल 900 बोतल कुल 675 लीटर कुल योग 1341 लीटर । बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपये

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

- निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
उ०नि० अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
उ०नि० गोविन्द सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
हे०का० कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
हे०का० रोशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
का० दीपक यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
का० रामसूरत चौहान थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

स्वाट/सर्विलांस-

उ०नि० आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम

हे०का० अरविंद भारद्वाज हे०का० राणा प्रताप सिंह हे०का० आनंद सिंह हे०का० रामानंद यादव हे०का० बिजेंद्र सिंह हे०का० प्रेम यादव हे०का० मंटू सिंह का० अजीत कुमार सिंह का० नीरज कुमार मिश्रा का० मनोज कुमार यादव